INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP82693095058479W

Certificate No.	:	IN-UP82693095058479W
Certificate Issued Date	:	12-Sep-2024 03:48 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14104004621862554457 40W
Purchased by	:	SHRI LADALI JI ENTERPRISES
Description of Document	:	Article 46 Patnership
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI LADALI JI ENTERPRISES
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SHRI LADALI JI ENTERPRISES
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

1 [signature] 2 [signature] 3 [signature]

5 [signature] 6 [signature]

For RAHUL AGRAWAL (HUF)

[signature]

KARTA

8 [signature]

QE 0015444301

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

साझेदारी पत्र

यह साझेदारी पत्र आज दिनांक इक्कीस बारह सितम्बर सन् दो हजार चौबीस ईसंवी को मथुरा में

(1) अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री वृन्दाबन दास अग्रवाल आयु 60 वर्ष निवासी 1447/4040, राधाकुंज, भरतपुर गेट, मथुरा .... प्रथम पक्ष

(2) श्री अंश कपिला पुत्र श्री संजीव कुमार कपिला आयु 29 बर्ष निवासी मकान नम्बर सी–27, कृष्णा नगर, मथुरा .... द्वितीय पक्ष

(3) श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल आयु 38 बर्ष निवासी 1845, गली रामपाल, मण्डी रामदास, मथुरा .... तृतीय पक्ष

(4) श्री मेघश्याम वार्ष्णेय पुत्र श्री हरीशचन्द्र वार्ष्णेय आयु 46 बर्ष निवासी 238, गोपीनाथ बाजार, वृन्दावन, मथुरा .... चर्तुथ पक्ष

(5) श्री अमन अग्रवाल पुत्र श्री सुदीप कुमार अग्रवाल आयु 31 बर्ष निवासी 82, श्री जमुना धाम, गोवर्धन रोड, मथुरा .... पंचम पक्ष

(6) श्री संजय जिन्दल पुत्र श्री हरगोविन्द जिन्दल आयु 51 बर्ष निवासी 109, सेक्टर–5, श्री राधापुरम एस्टेट, मथुरा .... षष्ठम पक्ष

(7) राहुल अग्रवाल एच यू एफ द्वारा कर्ता श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल आयु 38 बर्ष निवासी 1845, गली रामपाल, मण्डी रामदास, मथुरा .... सप्तम पक्ष

(8) श्री तेज प्रकाश मित्तल पुत्र श्री मुरारी लाल मित्तल आयु 48 बर्ष निवासी 5/70, श्री राधापुरम एस्टेट, मथुरा .... अष्ठम पक्ष

के मध्य निष्पन्न हुआ है । जो इस प्रकार है :–

For RAHUL AGRAWAL (HUF)

KARTA

Scanned with OKEN Scanner

(1) यहकि, प्रथम व द्वितीय पक्ष दिनांक 01.08.2023 से साझीदारी में सर्वश्री श्री **लाडलीजी एन्टरप्राइजेज** के नाम व उपाधि से एक व्यापार व कारोबार कर रहे है, तथा जिसमे दिनांक 21.03.2024 तृतीय, चर्तुथ, पंचम व षष्ठम पक्ष उक्त भागीदारी फर्म मे शामिल हो गये थे। परन्तु आज दिनांक 12.09.2024 से सप्तम पक्ष राहुल अग्रवाल एच यू एफ व अष्ठम पक्ष श्री तेज प्रकाश मित्तल उक्त साझेदारी फर्म मे शामिल हो गये है। अतः सभी पक्षों ने यह तय किया कि एक नई साझेदारी डीड तैयार की जाए जिसके लिए सभी पक्ष निम्नलिखित नियमों, उपनियमों एवं शर्तों पर सहमत हुऐ हैं। जिन्हें आज दिनांक 12.09.2024 को इस साझेदारी पत्र द्वारा लिपिवद्ध किया जा रहा है।

(2) यहकि, उपरोक्त साझीदारी का कार्य एवम् व्यापार सर्वश्री श्री **लाडलीजी एन्टरप्राइजेज** के नाम व उपाधि से ही किया जायेगा। उपरोक्त व्यापार से सम्बन्धित सभी लाइसेंस एवम् पंजीकरण आदि इसी नाम व उपाधि से लिए गए हैं तथा भविष्य में लिए जावेंगे।

(3) यहकि, उपरोक्त साझीदारी फर्म द्वारा कालोनियों, व्यावसायिक कॉम्पलैक्स व अन्य इसी तरह के प्रोजैक्ट के विकास, प्रमोशन एवं बनाने का कारोबार किया जायगा। उक्त कार्य भागीदारी फर्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति एवं व्यक्तियों से भी कराया जा सकता है। यदि भागीदार आपस में सहमत हों तो अन्य प्रकार के व्यापार व कारोबार भी इस फर्म में किये जा सकते है।

(4) यहकि, उपरोक्त साझीदारी फर्म का पंजीकृत कार्यालय 1447/4040, राधाकुंज, भरतपुर गेट, मथुरा में स्थित है। भागीदार आपस में इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि व्यापार की शाखा व शाखाऐं कहीं भी सम्पूर्ण भारतवर्ष में खोली जा सकेगी एवम् मुख्य व्यापार स्थल का भी परिवर्तन व्यापार की परिवर्तित स्थितियों के अनुसार कर सकेंगे।

(5) यहकि, सभी साझीदार आपस में इस बात पर सहमत हुऐ हैं कि उपरोक्त साझीदारी फर्म की अवधि स्वेच्छा पर निर्भर है यानीकि "पार्टनरशिप ऐट विल" है।

(6) यहकि, सभी साझीदारों ने आपस में यह सहमति प्रकट की है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिये अलग से नाम रखा जा सकता हैं।

For RAHUL AGRAWAL (HUF)

Scanned with OKEN Scanner

(7) यहकि, उपरोक्त साझीदारी के शुद्ध लाभ व हानि में सभी पक्षों के अंश इस प्रकार होंगे

(1)	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	– प्रथम पक्ष	– 12.00 प्रतिशत
(2)	श्री अंश कपिला	– द्वितीय पक्ष	– 19.00 प्रतिशत
(3)	श्री राहुल कुमार अग्रवाल	– तृतीय पक्ष	– 05.00 प्रतिशत
(4)	श्री मेघश्याम वार्ष्णेय	– चर्तुथ पक्ष	– 20.00 प्रतिशत
(5)	श्री अमन अग्रवाल	– पंचम पक्ष	– 17.00 प्रतिशत
(6)	श्री संजय जिन्दल	– षष्ठम पक्ष	– 09.00 प्रतिशत
(7)	श्री राहुल अग्रवाल एच यू एफ	– सप्तम पक्ष	– 10.00 प्रतिशत
(8)	श्री तेज प्रकाश मित्तल	– अष्ठम पक्ष	– 08.00 प्रतिशत

इसी अनुपात से शुद्ध लाभ व हानि का वितरण सभी पक्षों के मध्य में होगा ।

(8) यहकि, सभी पक्षों ने आपस में तय किया है कि साझीदारी फर्म का बुक प्रोफिट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (बी) के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार निकाला जावेगा । यह भी तय किया है कि कोई अन्य प्रावधान उस समय प्रचलन में होंगें, तब उसके अनुसार बुक प्रोफिट की गणना की जावेगी।

(9) यहकि, उपरोक्त साझीदारी के निम्न पक्ष कार्यशील भागीदार होगें एवं निम्नानुसार पारिश्रमिक देय होगा तथा नेकनीयती एवम् निष्टापूर्वक साझीदारी फर्म का व्यापार एवम कारोबार की प्रतिदिन की गतिविधियों एवम कार्यों को करेंगें तथा उनके प्रति पूर्णरूप से जिम्मेदार होगें।

(1)	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	– प्रथम पक्ष	– 12.00 प्रतिशत
(2)	श्री अंश कपिला	– द्वितीय पक्ष	– 19.00 प्रतिशत
(3)	श्री राहुल कुमार अग्रवाल	– तृतीय पक्ष	– 15.00 प्रतिशत
(4)	श्री मेघश्याम वार्ष्णेय	– चर्तुथ पक्ष	– 20.00 प्रतिशत
(5)	श्री अमन अग्रवाल	– पंचम पक्ष	– 09.00 प्रतिशत
(6)	श्री संजय जिन्दल	– षष्ठम पक्ष	– 17.00 प्रतिशत
(7)	श्री तेज प्रकाश मित्तल	– अष्ठम पक्ष	– 08.00 प्रतिशत

1 [signature] 2 [signature] 3 [signature] 4 मेघश्याम वार्ष्णेय

5 [signature] 6 [signature] For RAHUL AGRAWAL (HUF) 7 [signature] KARTA 8 [signature]

Scanned with OKEN Scanner

(10) यह कि सभी पक्षों ने तय किया है कि उक्त साझीदारी प्रपत्र के पैरा (9) मे उल्लिखित देय वार्षिक पारिश्रमिक सभी पक्षो के खातो मे जमा किया जावेगा। यदि भागीदार चाहें तो आपसी सहमति से कार्यशील भागीदार को देय पारिश्रमिक की गणना को संशोधित कर सकते है।

(11) यह कि चर्तुथ पक्ष श्री मेघश्याम वार्ष्णेय व सप्तम पक्ष राहुल अग्रवाल एच यू एफ द्वारा फर्म मे निम्नवत निवेश भूमि के रुप मे दि. 12.09.2024 मे किया है। यह भूमि दि. 12.09.2024 से फर्म की मानी जायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

विवरण भूमि

चर्तुथ पक्ष श्री मेघश्याम वार्ष्णेय ने खाता सं0 00210 व खसरा सं0 425/1 कुल रकवा है0 2.3620 हेक्टेयर में से अपना भाग 0.3544 हेक्टेयर बराबर 3544 वर्ग मीटर भूमि स्थित बाकै मौजा राल तहसील व जिला मथुरा। जिसका बैनामा दिनांक 12.04.2024 निबंधन कार्यालय उ0 नि0 मथुरा प्रथम पर वही सं. 1 जिल्द सं. 19109 के सफा 89–104 क्रमांक 8539 पर हुआ है। उक्त भूमि मूल्य रुपये 75,00,000/– मे तथा

सप्तम पक्ष राहुल अग्रवाल एच यू एफ ने खाता सं0 00210 व खसरा सं0 425/1 कुल रकवा है0 2.3620 हेक्टेयर में से अपना भाग 0.3542 हेक्टेयर बराबर 3542 वर्ग मीटर भूमि स्थित बाकै मौजा राल तहसील व जिला मथुरा। जिसका बैनामा दिनांक 12.04.2024 निबंधन कार्यालय उ0 नि0 मथुरा प्रथम पर वही सं. 1 जिल्द सं. 19109 के सफा 89–104 क्रमांक 8539 पर हुआ है। उक्त भूमि मूल्य रुपये 75,00.000/– मे यानी

इस प्रकार चर्तुथ पक्ष श्री मेघश्याम वार्ष्णेय व सप्तम पक्ष राहुल अग्रवाल एच यू एफ ने कुल 0.7086 हेक्टेयर बराबर 7086 वर्ग मीटर भूमि मूल्य रुपये 1,50,00,000/– **(शब्देन एक करोड पचास लाख रुपये मात्र)** का निवेश उक्त साझेदारी फर्म मे किया है। सभी पक्षों ने यह भी तय किया है कि भविष्य मे आवश्यकता पडने पर साझीदार अपनी पूँजी के रूप में नगद, चेक आदि व अपनी कोई भूमि व जायदाद आदि निवेश करना चाहे तो वह उक्त साझीदारी फर्म में निवेश कर सकता है।

(12) यहकि सभी पक्षों ने यह भी सहमति प्रकट की है कि उक्त साझेदारी फर्म की ओर से प्रथम पक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल व तृतीय पक्ष श्री राहुल कुमार अग्रवाल मे से कोई एक पक्ष (साझीदार) तथा चर्तुथ पक्ष श्री मेघश्याम वार्ष्णेय व षष्ठम पक्ष श्री संजय जिन्दल मे से कोई एक पक्ष (साझीदार) मिलकर संयुक्त रुप से जमीनों को खरीदने व बेचने आदि से सम्बंधित सभी कार्य करेंगे।

1 [signature] 2 [signature] 3 [signature] 4 मेघश्याम वार्ष्णेय

5 [signature] 6 [signature] For RAHUL AGRAWAL (HUF) 7 [signature] KARTA 8 [signature]

Scanned with OKEN Scanner

(13) यहकि सभी पक्षों ने यह भी तय किया है कि साझीदारों को उनके पूँजी निवेश व निवेशों पर अधिकतम 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से व्याज दिया जावेगा। जो लेखा वर्ष के अन्त में जब फाइनल हिसाब तैयार किया जावेगा, उस समय उनके खातों में जमा (क्रेडिट) किया जावेगा। भागीदारों ने आपस में यह भी तय किया है कि यदि भागीदार चाहें तो अपने पुंजी निवेश व निवेशों पर कम दर से अथवा शून्य दर से ब्याज ले सकते हैं। यह सभी साझीदारों की परस्पर सहमति पर निर्भर होगा। परन्तु किसी भी दशा में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिक ब्याज नहीं दी जायेगी।

(14) यहकि साझीदारों ने आपस में सहमति प्रकट की है कि वित्तीय अधिकार बैंक में खाता खोलना, बैंक से रूपया निकालना, गिरवी रखना आदि सभी कार्य फर्म के साझीदार प्रथम पक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल व तृतीय पक्ष श्री राहुल कुमार अग्रवाल मे से कोई एक पक्ष (साझीदार) तथा चर्तुथ पक्ष श्री मेघश्याम वार्ष्णेय व षष्ठम पक्ष श्री संजय जिन्दल मे से कोई एक पक्ष (साझीदार) मिलकर संयुक्त रुप से करेंगे।

(15) यहकि साझीदारों ने आपस में सहमति प्रकट की है कि साझीदारो द्वारा व्यक्तिगत अथवा पृथक–पृथक रूप से कराया गया कार्य फर्म के द्वारा कराया नहीं माना जाऐगा!

(16) यहकि, सभी पक्षों ने आपस में सहमति प्रकट की है कि साझीदार फर्म किसी भी बैंक या अन्य व्यक्ति या राज्य और केन्द्रीय सरकार से किसी भी प्रकार का ऋण ले सकती है।

(17) यहकि सभी पक्षों ने यह तय किया है कि किसी साझीदार द्वारा यदि कोई जमीन व जायदाद व अन्य अचल सम्पत्ति के रूप में कोई पूँजी निवेश के रूप मे फर्म मे जमा करता है, तब वह जमीन व जायदाद व अन्य अचल सम्पत्ति फर्म की मानी जायेगी। जिसके लिए यदि किसी लिखा पढी की आवश्यकता महसूस की जाय तो वह की जा सकती है।

(18) यहकि सभी पक्षों ने इस बात पर भी सहमति प्रकट की है कि किसी साझीदार की मृत्यु हो जाने पर उक्त फर्म स्वतः ही समाप्त नहीं होगी वरन् यथावत चलती रहेगी। तथा मृत्य वाले साझीदार के वास्तविक उत्तराधिकारी ही उसका स्थान लें सकेगें।

(19) यहकि सभी पक्षों ने तय किया कि किसी साझीदार के रिटायरमेन्ट या नये साझीदारों के प्रवेश उक्त फर्म के सभी साझीदारो की लिखित सहमति से होगा।

1 2 3 4 मेघश्याम वार्ष्णेय

For RAHUL AGRAWAL (HUF)

5 6 7 8

KARTA

Scanned with OKEN Scanner

(20) यहकि, सभी साझीदारों ने आपस में यह तय किया है कि उपरोक्त साझीदारी फर्म के व्यापार व कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिऐ किसी भी पक्ष व पक्षों व अन्य किसी भी व्यक्ति व व्यक्तियों को सभी साझीदारो की लिखित सहमति से अधिकृत किया जा सकता है। उनके द्वारा किऐ गये कार्य फर्म द्वारा किऐ गये कार्य माने जाऐंगे। इसके लिऐ यदि अलग से कोई लिखा पढी की आवश्यकता महसूस की जाए तो वह की जा सकती है।

(21) यहकि, सभी पक्षों ने आपस में सहमति प्रकट की है कि साझेदारी पत्र के नियमों, उपनियमों एवं शर्तो को आपसी सहमति से घटाया, बढाया व परिवर्तन किया जा सकता है।

(22) यह कि इस साझीदारी पर साझीदारी अधिनियम 1932 की सभी धारा, धाराऐं, उपधारा व उपधाराऐं लागू हैं।

यह साझेदारी पत्र आज दिनांक 12.09.2024 को निम्न साक्षीयों की उपस्थिति मे निष्पन्न हुआ तथा सभी पक्षों को मान्य है।

साक्षीगण

1 श्री कौशल किशोर अग्रवाल
पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
निवासी मकान नम्बर 10,
अग्रसेन नगर, मथुरा

2 श्री अंकित अग्रवाल
पुत्र श्री पवन अग्रवाल
निवासी बी–70, गणपति एन्क्लेव,
मसानी लिंक रोड, मथुरा

निष्पादकगण

1. श्री अशोक कुमार अग्रवाल (प्रथम पक्ष)
2. श्री अंश कपिला (द्वितीय पक्ष)
3. श्री राहुल कुमार अग्रवाल (तृतीय पक्ष)
4. श्री मेघश्याम वार्ष्णेय (चर्तुथ पक्ष)
5. श्री अपन अग्रवाल (पंचम पक्ष)
6. श्री संजय जिन्दल (षष्टम पक्ष)

For RAHUL AGRAWAL (HUF)

7. श्री राहुल अग्रवाल एच यू एफ द्वारा
KARTA
श्री राहुल कुमार अग्रवाल(सप्तम पक्ष)
8. श्री तेज प्रकाश मित्तल (अष्टम पक्ष)